न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 02/2015 (75 एल. आर. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2015/00054

उनवान

1. जहॉगीर पुत्र उमराव जाति गद्दी निवासी भगोरा।
2. चिनुआ पुत्र उमराव (मृतक)
   - 2/1. जैनव वेवा चिनुआ
   - 2/2. अन्नो खॉ, 2/3. रनताहिर } पुत्रान चिनुआ
   - 2/4. ममताज, 2/5. भूरी, 2/6. सिताराबानो, 2/7. मदीना } पुत्रीयान चिनुआ

   जाति गद्दी निवासी ग्राम भगोरा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. फूलवती पत्नी श्री हीरालाल पुत्री हरीराम जाति जाटव निवासी हरनगर वैदपुरा तहसील बयाा जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

2. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार जी वैर।
3. सरदार, 4. बतूला, 5. वभूती } पुत्रान उमराव जाति गद्दी निवासी भगोरा तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. मनुआ, 7. कल्ला, 8. भलुआ } पुत्रान स्व0 मुनीर पुत्र उमराव जाति गद्दी नि0 भगोरा तह0 वैर, भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.02.2015 प्रकरण संख्या राजस्व/15/212 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित ।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट श्री तालेराम उपस्थित।

निर्णय दिनांक–02.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/प्रार्थिया फूलवती पुत्री हरीराम जाति जाटव निवासी हरनगर वैदपुरा तहसील बयाना को उपखण्ड अधिकारी, वैर द्वारा आदेश क्रंमाक/राजस्व/15/212 दिनांक 24.02.2015 से खसरा नम्बर 357 रकवा 02 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम भगौरा तहसील वैर की कस्टोडियन गैर खातेदारी भूमि पर खातेदारी प्रदान की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 357 रकवा 02 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम भगोरा तहसील वैर के अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 के पिता व बाबा स्व0 उमराव विस्वेदार थे एवं उक्त आराजी हमेशा से अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 के पिता व बाबा के कब्जे काश्त की रही है, जिसे खिलाफ कानून राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन बिना किसी आदेश के संवत 2023 में दर्ज किया जाकर रैस्पो0 के पिता हरीराम को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। जबकि विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही विवादित आराजी कभी कस्टोडियन भूमि ही रही है। रैस्पो0 ने उपखण्ड अधिकारी से साज कर गुपचुप तरीके से राजस्व रिकार्ड मे चले आ रहे गलत गैर खातेदारी के इन्द्राजो के आधार पर, अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करा लिये हैं। विवादित आराजी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.03.2012 विचाराधीन प्रकरण में चस्पा नहीं होता है क्योंकि अपीलाण्ट के पिता उमराव की विस्वेदारी की आराजी को कभी कस्टोडियन भूमि डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में विवादित भूमि को कस्टोडियन भूमि होना मानते हुए , रैस्पों के गैर खातेदारी इन्द्राजों से खातेदारी के इन्द्राज दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किये जाने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि रैस्पो0 के पिता को आवंटित हुई थी एवं वक्त आवंटन से ही उनके पिता का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है व उनकी मृत्यु के पश्चात् रैस्पो0 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का विवादित भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त ही रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट जमाबन्दी में विवादित भूमि को कस्टोडियन अंकित होने व इस पर रैस्पो0 के पिता हरीराम के अंकन को चुनौती दे रहें हैं। परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी के अंकन बाबत् कोई चुनौती नहीं थी। अपीलाधीन आदेश मात्र राजस्व अभिलेख में रैस्पो0 के विवादित भूमि पर हो रहे कस्टोडियन गैर खातेदारी अंकन को खातेदारी में परिवर्तन किये जाने बाबत् है। अपीलाण्ट का अब प्रस्तुत अपील के माध्यम से जमाबन्दी के अंकन को चुनौती देना सारपूर्ण नहीं है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 ''प्रविष्टियों के रूप में अनुमान'' के तहत यह अंकन तब तक सही माना जावेगा, जब तक कि इसे गलत सिद्ध नही किया जावें। अपील के माध्यम से इस प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अपीलाधीन आदेश की विषयवस्तु के बाहर अपील में विचार नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट यदि जमाबन्दी के अंकन को त्रुटिपूर्ण मानता है तो उसे घोषणात्मक दावा लाना चाहिए था: अपीलाण्ट के अधिकार, घोषणात्मक वाद में ही तय हो सकते हैं, जो इस अपील की विषयवस्तु नहीं है। उपरोक्त विवचनानुसार हम अपीलांट की अपील संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 24.02.2015 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 02.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू.प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official